अंक-9 अप्रैल 2019

1945 से राष्ट्र सेवा में समर्पित

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

विषय वस्तु

- राज्यों का गोलमेज : अन्तर्राज्यीय नदी जल अभिशासन
- भूटान एवं भारत सरकार की संयुक्त विशेषज्ञ टीम की 35 वीं बैठक
- मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णय
- उत्तराखण्ड की जल विद्युत परियोजनाओं का दौरा
- त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन — सी एम आई एस
- तटीय सुरक्षा एवं प्रबन्धन हेतु संदर्भ मैनुअल
- स्वच्छता पखवाड़ा — 2019
- डी आर आई पी चरण 2 एवं चरण 3
- जलाशय प्रबोधन
- महत्वपूर्ण लिंक
- समाचारों में जल क्षेत्र
- जलयुक्त शिवर
- प्रशस्ति
- इतिहास — भाखड़ा बांध

सैयद मसूद हुसैन
अध्यक्ष, के.ज.आ.

सन्देश

जहां तक जल क्षेत्र का संबंध है, इस माह के दौरान महत्वपूर्ण कैबिनेट निर्णय लिए गए. सबसे पहले, बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक संस्थापित क्षमता) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में से एक घोषित किया गया. यह कदम इस क्षेत्र को आवश्यक बढ़ावा देने वाला है और आशा है कि इससे देश में उपलब्ध सम्भावित जल विद्युत क्षमता के बेहतर उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा. उपरोक्त के अलावा, 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफ एम बी ए पी) योजना को रु.3342.00 करोड़ की कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई. भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के विभिन्न घटकों की देखरेख और प्रबोधन में के.ज.आ. शामिल है.

जल क्षेत्र में सहयोग के लिए भूटान की शाही सरकार और नेपाल सरकार के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें हुई. मुझे 27.2.19-28.2.19 के दौरान काठमांडू, नेपाल में आयोजित पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के लिए विशेषज्ञों की टीम की तीसरी बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व करने का अवसर मिला. बैठक के दौरान, कई लंबित मुद्दों का समाधान किया गया. शेष रह गए लंबित मुद्दों के समाधान के लिए अब प्रयास किए जा रहे हैं. समान नदियों पर एच ओ एंड एफ एफ नेटवर्क की स्थापना हेतु व्यापक योजना की देखरेख और समीक्षा करने के लिए भूटान की शाही सरकार और भारत सरकार के बीच 35 वीं जेईटी (संयुक्त विशेषज्ञ टीम) की बैठक भूटान में आयोजित की गई.

स्वतंत्र और प्रमुख लोक नीति अनुसंधान विशेषज्ञ समूह (थिंक टैंक) 'सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर)' ने के.ज.आ के संग 6 मार्च, 2019 को के.ज.आ मुख्यालय में "राउंडटेबल ऑफ स्टेट्स" कार्यक्रम की मेजबानी की. इस कार्यक्रम के दौरान देश में अंतरराज्यीय नदी जल अभिशासन के विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा की गई, जिसमें विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार के संगठनों के साठ से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया. बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डी आर आई पी) की सफलता और उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से परियोजना के अगले चरणों की शुरुआत कर दी है. इस संबंध में, डी आर आई पी चरण -2 और चरण -3 पर पहली परामर्श बैठक 18 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी.

के.ज.आ., इस क्षेत्र में लगे राज्य सरकार और विशेषज्ञ संस्थानों के सहयोग से विभिन्न समुद्री राज्यों में तटीय डेटा संग्रह स्थलों को स्थापित कर रहा है. इस संबंध में मार्च, 2019 के दौरान क्रमशः गोवा और महाराष्ट्र (दक्षिणी तट) राज्यों के लिए दो त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे. इन त्रिपक्षीय एमओयू में के.ज.आ. ,प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ), गोवा, प्रोजेक्ट एक्सक्यूटर और संबंधित राज्य सरकार प्रोजेक्ट फेसिलिटेटर होंगे.

के.ज.आ. मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों ने 16 से 31 मार्च, 2019 के दौरान स्वच्छ पखवाड़ा में सक्रिय रूप से भाग लिया. गतिविधियों में आस-पास के क्षेत्रों और जल निकायों की सफाई, वृक्षारोपण अभियान, स्कूली बच्चों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन शामिल था . इन गतिविधियों ने स्वच्छता और जल संरक्षण के संबंध में हमारी युवा पीढ़ी की कल्पनाशील सोच और दृष्टिकोण को भी उजागर किया. के.ज.आ ने 22 मार्च 2019 को विश्व जल दिवस भी मनाया. उपरोक्त गतिविधियों में से कुछ को सूचनापत्र के बाद के भागों में दर्शाया गया है .

मसूद हुसैन

अंधम बलम जलम च आहुह प्रणेत्वयम विकासनव
"जल एवं अग्नि की शक्ति दिशाहीन होती है जिसे विवेक से दिशा दिया जा सकता है.."
महाभारत

श्री आलोक रावत, राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व सदस्य और जल संसाधन मंत्रालय के पूर्व सचिव, ने के.ज.आ., मुख्यालय, नई दिल्ली में 7.3.19 को "पुरुष प्रधान समाज में महिला सशक्तिकरण" विषय पर एक भाषण दिया

श्री आर.के. सिन्हा, सदस्य (नदी प्रबंध), के.ज.आ.और के.ज.आ.-मुख्यालय, नई दिल्ली के अन्य अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीस्ता बेसिन संगठन, के.ज.आ., कोलकाता के अधिकारियों के साथ बातचीत की

राज्यों का गोलमेज : अंतर्राज्यीय नदी जल अभिशासन

श्री एस. मसूद हुसैन, अध्यक्ष, के.ज.आ., श्री यू. पी. सिंह, सचिव, ज.सं.न.वि.एवं गं.सं. मंत्रालय, श्री ए.बी. पंड्या, महासचिव आई.सी.आई.डी. और डा. श्रीनिवास चोक्काकुला, जल संसाधन मंत्रालय रिसर्च चेयर, सी.पी.आर. राज्यों के गोलमेज सम्मेलन के दौरान

राज्यों के गोलमेज सम्मेलन के दौरान प्रतिभागी

सेन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली ने ज.सं.न.वि.एवं गं.सं. मंत्रालय तथा के.ज.आ., भारत सरकार के साथ 06.03.19 को के.ज.आ. (मुख्यालय) में ''राज्यों के गोलमेज'' का आयोजन किया. इसमें देश में अंतर्राज्यीय नदी जल अभिशासन की चुनौतियों पर चर्चा की गई. गोलमेज में अंतर्राज्यीय नदियों जल अभिशासन से जुड़े मुद्दों पर विचार हुआ.

गोलमेज वार्ता में दो परामर्श सत्र आयोजित हुए. प्रथम सत्र की अध्यक्षता श्री यू.पी. सिंह, सचिव, ज.सं.न.वि.एवं गं.सं. मंत्रालय ने किया. सत्र में डॉ. श्रीनिवास चोक्काकुला, जल संसाधन मंत्रालय के शोध पीठ अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत एक शोध एजेण्डा पर विचार विमर्श हुआ. द्वितीय सत्र की अध्यक्षता एवं संचालन श्री सैयद मसूद हुसैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. द्वारा किया गया.

गोलमेज का आयोजन सीपीआर में हाल ही में स्थापित ''जल संसा. मंत्रालय शोध पीठ — जल संघर्ष एवं अभिशासन'' की प्रारम्भिक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में किया गया है. मंत्रालय एवं के.ज.आ., राज्यों से यह आशा करते हैं कि वे एजेण्डा निर्धारित कर राज्य के परिप्रेक्ष्यों को रखते हुए इसमें योगदान दें. राज्यों/सं.शा.प्र. के जल संसाधन विभागों के प्रमुख सचिव, राज्य जल संसाधन विभागों के मुख्य अभियन्ता और केन्द्रीय एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधियों, विभिन्न जल बोर्ड जैसे भाखड़ा व्यास प्रबन्धन बोर्ड, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड, गोदावरी नदी प्रबन्धन बोर्ड के प्रतिनिधियों सहित 60 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमे भाग लिया. प्रथम सत्र के दौरान, श्री यू.पी. सिंह, सचिव, ज.सं.न.वि.एवं गं.सं. मंत्रालय ने उल्लेख किया कि विमर्श एवं नीतिगत चिंतन में परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता है. उन्होंने विवाद की स्थिति में राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया. उन्होंने ऐसे सहयोग के मुद्दों की पड़ताल हेतु जल संसाधन मंत्रालय के शोध पीठ को सुझाव दिया.

दूसरे सत्र के दौरान, अंतर्राज्यीय समन्वय की मुख्य चुनौतियों की पहचान करने पर ध्यान दिया गया ताकि नीति निर्माण के समय उस पर विचार किया जा सके. अध्यक्ष, के.ज.आ. ने सचिव द्वारा सुझाए गए अंतर्राज्यीय सहयोग की आवश्यकता के पक्ष में मत रखा, साथ ही बताया कि जल सं. मंत्रा.- शोध पीठ के साथ के.ज.आ. इस मुद्दे पर राज्यों से लगातार सम्पर्क में रहेगी.

प्रतिभागियों ने महसूस किया कि यह ज.सं.न.वि.एवं गं.सं. मंत्रालय द्वारा संघीय शासन के इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से सम्पर्क बनाने का एक महत्वपूर्ण पहल है. सचिव, ज.सं.न.वि.एवं गं.सं. मंत्रालय एवं अध्यक्ष, के.ज.आ. ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की उत्साहपूर्ण भागीदारी पर संतुष्टि व्यक्त की और ऐसी वार्ताओं को जारी रखने की आशा व्यक्त की.

भूटान की शाही सरकार एवं भारत सरकार के संयुक्त विशेषज्ञ टीम की 35वीं बैठक

भूटान की शाही सरकार एवं भारत सरकार की संयुक्त विशेषज्ञ टीम की 35वीं बैठक का आयोजन 06.03.19 से 07.03.19 के दौरान पारो, भूटान में हुआ. संयुक्त विशेषज्ञ टीम का गठन भूटान से निकलने व भारत में बहने वाली नदियों पर जल मौसम विज्ञान प्रेक्षण एवं बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क की स्थापना हेतु विस्तृत योजना के तहत विकास की समीक्षा करने के लिए हुआ था.

भारत सरकार के प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व श्री पी एम स्कॉट, मु.अ. (बी. एण्ड बी.बी.ओ.), के.ज.आ. शिलांग कर रहे थे. इस दल के अन्य सदस्यों में, श्री वसीम अशरफ, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त., ब्रह्मपुत्र एवं बराक विंग, ज.सं.नदी वि.एवं गं.सं. मंत्रालय, श्री एस.एल. मीना, निदेशक (वित्त), ज.सं.नदी वि. एवं गं.सं. मंत्रालय, श्री रवि रंजन, अधीक्षण अभियन्ता, एच.ओ.सी., के.ज.आ., गुवाहाटी व श्री सुदीप्त सरकार, अधिशासी अभियंता, बी.आई.डी., के.ज.आ., भूटान शामिल थे. भूटान सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री कर्मा दुप्चू, निदेशक,राष्ट्रीय जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान केन्द्र ने किया. संयुक्त विशेषज्ञ टीम के 35वीं बैठक के दौरान, राष्ट्रीय जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान केन्द्र, भूटान सरकार के माध्यम से क्रियान्वित भारत सरकार के बाढ़ चेतावनी कार्यक्रम के विकास की समीक्षा की गई एवं कई निर्णय लिए गए. भारत एवं भूटान की साझी नदियों पर जलमौसम विज्ञान एवं बाढ़

पूर्वानुमान नेटवर्क की स्थापना एवं भारत के कंट्रोल रूम मे सूचना भेजने के लिए एक विस्तृत योजना वर्ष 1955 से जारी है . भूटान में इन साइट के संचालन एवं प्रबन्धन का खर्च भारत वहन करता है. दोनों पक्षों के अधिकारी इसके क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु वर्ष में दो बार क्रमश: भारत एवं भूटान में बैठक करते हैं.

महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय निर्णय

बाढ़ प्रबन्धन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम

मंत्रिमंडल ने पूरे देश में बाढ़ प्रबन्धन कार्यों एवं सीमा क्षेत्रों से सम्बन्धित नदी प्रबंधन कार्यों के लिए 2017-18 से 2019-20 की अवधि दौरान के लिए 3342 करोड़ रुपये राशि वाले बाढ़ प्रबन्धन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम का अनुमोदन किया. इस (एफ एम बी ए पी) कार्यक्रम का निर्माण 12वीं योजना कार्यक्रम के दो घटकों के विलय से किया गया है. यथा - ''बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम'' और ''नदी प्रबन्धन कार्यक्रमों एवं सीमा क्षेत्रों से सम्बद्ध कार्य''.

योजना में बाढ़ प्रबन्धन घटक के लाभार्थी पूरे देश में हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं. आर एम बी ए घटक, पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल, चीन , पाकिस्तान व भूटान के साथ सीमा क्षेत्रों में गतिविधियों से सम्बन्धित है.

यह प्रस्ताव कस्बों, गांवों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, संचार कड़ियों, कृषि भूमियों, अवसंरचना इत्यादि को बाढ़ एवं कटाव से बचाने में उपयोगी होगा. कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट कार्य नदियों में गाद के एकत्रण को कम करने में सहायक होगी. इस योजना के अंतर्गत कार्यों से मूल्यवान भूमि को कटाव एवं बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी, साथ ही सीमा पर शान्ति कायम रखने में मदद मिलेगी.

एफ एम बी ए पी का लक्ष्य

- नाजुक क्षेत्रों में बाढ़ से सुरक्षा मुहैया कराने हेतु राज्य सरकार को संरचनात्मक व गैर संरचनात्मक उपायों को अपनाते हुए सहायता देना. साथ ही सम्बन्धित क्षेत्रों में राज्य/केन्द्रीय सरकारी के पदाधिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाना.
- यह मूल्यवान भूमि को कटाव एवं बाढ़ से सुरक्षित करेगा एवं सीमा पर शान्ति कायम रखने में मदद करेगा.
- योजना के अंतर्गत पड़ोसी देशों से भारत में प्रवेश करने वाली नदियों पर जल—मौसम विज्ञान प्रेक्षण एवं बाढ़ पूर्वानुमान किया जाएगा.
- साझी सीमावर्ती नदियों पर जल संसाधन परियोजनाओं के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण एवं डीपीआर इत्यादि को तैयार करना.

बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम की निगरानी का कार्य केन्द्रीय जल आयोग, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग और ब्रह्मपुत्र बोर्ड अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अधीन करेंगे . आर एम बी ए घटक की निगरानी केन्द्रीय जल आयोग एवं गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग करेगा.

जल विद्युत क्षेत्र को प्रोत्साहन हेतु प्रयास

भारत की कुल 1,45,320 मे.वा. सम्भावित जल विद्युत क्षमता में से केवल 45,400 मे.वा. क्षमता का ही उपयोग हो पाया है. गत 10 वर्षों में केवल लगभग 10,000 मेगावाट जल विद्युत का ही विकास हुआ है. वर्तमान में जलविद्युत क्षेत्र एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है और कुल क्षमता में जलविद्युत का हिस्सा जो 1960 में 50.36 प्रतिशत था, घटकर 2018-19 में लगभग 13 प्रतिशत तक हो गया है.

अब, सरकार ने निर्णय लिया है कि वृहद जल विद्युत परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित किया जाएगा. (पूर्व में केवल 25 मे.वा. से कम क्षमता वाले जल विद्युत परियोजनाओं को ही नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में वर्गीकृत किया गया था) 2018 तक, 10973 मे.वा. क्षमता वाली परियोजनाएं निर्माणाधीन थीं और पूर्ण दोहन के लिए 93732 मे.वा. क्षमता वाली परियोजनाओं को अभी शुरू करना शेष है.

सरकार ने चिन्हित जल विद्युत परियोजनाओं के बाढ़ नियंत्रण घटक के वित्तपोषण के लिए बजटीय सहायता पर विचार करना स्वीकार किया है. जैसा कि अधिकांश संभावित जल विद्युत क्षमता उच्च हिमालय एवं उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, सरकार की यह नीति विद्युत क्षेत्र में प्रत्यक्ष रोजगार देकर क्षेत्र के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में परिणत होगा.

तीस्ता चरण—छः जल विद्युत परियोजना, सिक्किम

एनएचपीसी लिमिटेड को मैसर्स लैंको तीस्ता जल विद्युत लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए निवेश स्वीकृति एवं साथ ही तीस्ता चरण—छ: जल विद्युत परियोजना के बाकी कार्य के निष्पादन की भी स्वीकृति मिली. इसमें तीस्ता नदी पर 26.5 मी. लम्बे बैराज का निर्माण, अश्वनाल के आकार के 9.8 मी. व्यास के टनल जिसकी लम्बाई 13.76 किमी., व 125 मे.वा. की अलग-अलग 4 इकाईयों वाले भूमिगत विद्युत गृह का निर्माण शामिल हैं. यह परियोजना 90 प्रतिशत आधारित वर्ष में 500 मे.वा. की संस्थापित क्षमता से 2400 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पन्न करेगी.

उत्तराखण्ड की जल विद्युत परियोजनाओं का दौरा

श्री टी.के. सिवराजन, मु.अ. अभिकल्प (पू. एवं उ.पू.), के.ज.आ. और श्री पी.के. शुक्ल, मु.अ. (एच.पी.एम.), के.वि.प्रा., जल संसाधन न.वि.गं.सं. मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति सदस्य के रूप में उत्तराखण्ड में 3 जलविद्युत परियोजनाओं की प्रगति का निरीक्षण किया गया . ये परियोजनाएं हैं- कोटलीभेल 1ए (195 मे.वा.), कोटलीभेल 1.बी. (320 मे.वा.) एवं लता तपोवन (171 मे.वा.). समिति ने 24.03.19 से 26.03.19 के दौरान स्थल का दौरा व आंकलन किया.

परियोजना	नदी	प्रस्तावक	प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन (मि.यू.)
कोटलीभेल 1ए	भागीरथी	एन.एच.पी.सी.	1025.50
कोटलीभेल 1बी	अलकनंदा	एन.एच.पी.सी.	1278.30
लता तपोवन	धौलीगंगा	एन.टी.पी.सी.	868

लता तपोवन एचईपी, उत्तराखंड का दौरा करती समिति

उत्तराखंड के कोटलीभेल 1ए और 1बी एचईपी का दौरा करने वाली समिति

तटीय प्रबन्धन सूचना तन्त्र (सी.एम.आई.एस.)

समुद्र इंजीनियरिंग विभाग , भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास , चेन्नई ने 11.3.19 को के.ज.आ. के सहयोग से तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई में आयोजित तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (सी.एम.आई.एस.) के कार्यान्वयन के लिए परियोजना निगरानी समिति (पी.एम.सी.) की 12.3.19 को आयोजित चौथी बैठक. बैठक की अध्यक्षता श्री एन.एम. कृष्णनउन्नी , मुख्य अभियंता, सीएसआरओ, के.ज.आ., कोयंबटूर ने की

केजआ, एनआईओ , गोवा एवं महाराष्ट्र सरकार के बीच सीएमआईएस हेतु त्रिपक्षीय एम.ओ.यू.

के.ज.आ., राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा एवं महाराष्ट्र सरकार के मध्य महाराष्ट्र(दक्षिणी तट) के लिए तटीय प्रबन्धन सूचना तन्त्र हेतु त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन 26.03.2019 को हस्ताक्षरित किया गया जिसमें के.ज.आ., परियोजना कार्यान्वयन के रूप में, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा परियोजना क्रियान्वयक के रूप में और महाराष्ट्र सरकार, परियोजना सुगमकारक के रूप में कार्य करेंगे. इसके अतिरिक्त गोवा में भी तटीय प्र. सू. तन्त्र के क्रियान्वयन के लिए एक अन्य त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन 27.03.2019 को गोवा में हस्ताक्षरित किया गया जिसके अनुसार के.ज.आ., परियोजना कार्यान्वयक के रूप में, रा.समु.वि. संस्था, गोवा परियोजना क्रियान्वयक के रूप में व गोवा सरकार परियोजना सुगम कारक के रूप में कार्य करेगी. इस प्रकार के समझौता ज्ञापन अन्य अन्य एजेंसियों एवं राज्यों/सं.शा.क्षे. के मध्य हस्ताक्षरित हुआ. इनका सारांश नीचे दिया गया है —

क्रम सं.	परियोजना कार्यान्वयनकर्ता	परियोजना निष्पादनकर्ता	परियोजना सुविधा प्रदानकर्ता	साइट की सं.
1	के. ज. आ.	भ्रा.प्रौ.संस्थान, मद्रास	तमिलनाडु	1
2			केरल	1
3			पुडुचेरी	1
4	के. ज. आ.	के.ज.और वि.अनु. केन्द्र, पुणे	गुजरात	1
5			महाराष्ट्र (उत्तरी)	1
6	के. ज. आ.	रा.स.वि.संस्थान, गोवा	महाराष्ट्र (दक्षिणी)	1
7			गोवा	2

गोवा में 27.3.2019 को के.ज.आ., एनआईओ, गोवा और गोवा सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

तटीय सुरक्षा एवं प्रबन्धन हेतु संदर्भ मैनुअल

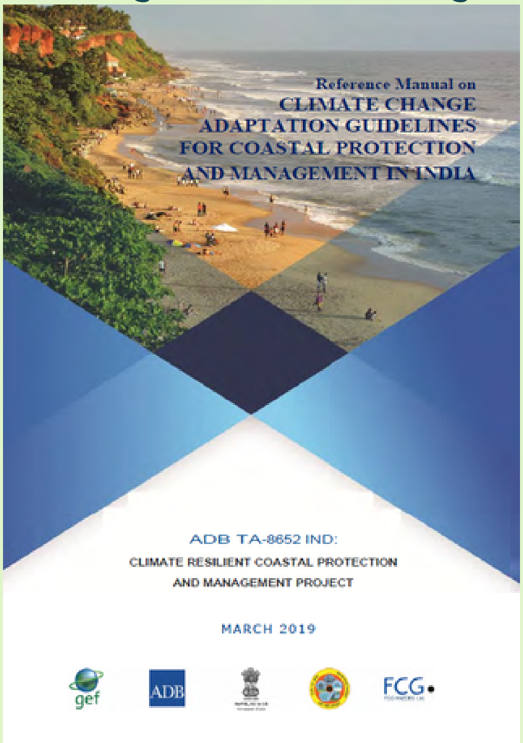

जलवायु परिवर्तन, तटीय क्षेत्रों में स्थित आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाला एक बड़ा कारक है. इन मुद्दों का हल निकालने के लिए, वैज्ञानिक रूप से भारत में जलवायु प्रतिरोधी तटीय सुरक्षा एवं प्रबन्धन के लिए एक संदर्भ मैनुअल को ए डी बी -जी ई एफ (वैश्विक पर्यावरण सुविधा) के सहयोग से तैयार किया गया है.

इसे श्री यू.पी. सिंह, सचिव (ज.सं.न.वि.एवं गं.सं. मंत्रालय) द्वारा 26.03.19 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्रालय, के.ज.आ. व ए डी बी के अधिकारियों की उपस्थिति में जारी किया गया. संदर्भ मैनुअल में योजना के प्रारूप के निर्माण, भौतिक तटीय प्रक्रियांए, विभिन्न सुरक्षात्मक उपायों का मूल्यांकन, सामुदायिक भूमिका को शामिल करना व तटीय प्रबंधन के लिए एजेंसियों की भूमिका के लिए दिशानिर्देश शामिल है. ये दिशानिर्देश भारतीय तट रेखा की समग्र सुरक्षा के लिए व्यापक दृष्टिकोण उपलब्ध कराएगा.

श्री राजेश यादव, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, एडीबी, श्री जे.सी. अय्यर, आयुक्त (एफ एम) ज.सं.न.वि.एवं गं.सं. मंत्रालय, श्री बी.के. करजी, मु.अ.(एफएम), के.ज.आ., श्री एन.के. माथुर, सदस्य, अभि.एवं अनु., के.ज.आ., श्री यू.पी. सिंह, सचिव, ज.सं.न.वि.एवं गं.सं. मंत्रालय, श्री अरनौद , प्रधान जल संसाधन विशेषज्ञ, एडीबी और डा. एम. बाबा, परियोजना सलाहकार और पूर्व निदेशक, सीईएसएस, केरल

डी आर आई पी चरण -2 एवं चरण -3

डी आर आई पी, ज.सं.न.वि.एवं गं.सं. मंत्रालय, भारत सरकार एवं विश्व बैंक की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है. इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कुछ चुने हुए बांधों की बांध सुरक्षा एवं परिचालन प्रबंधन को मजबूत करना है, जिसमें स्थायी परिचालन और रखरखाव के साथ-साथ प्रणाली व्यापक प्रबंधन सुधार हेतु संस्थागत मजबूती पर जोर दिया गया है. डी आर आई पी की सफलता एवं उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से इस परियोजना के अगले चरण की शुरूआत की है.

डी आर आई पी चरण-2 और चरण-3 में 18 राज्यों और दो केन्द्रीय संगठनों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव दिया गया है. यह परियोजना विश्व बैंक, भाग लेने वाले राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाएगी. इस परियोजना के समग्र कार्यान्वयन के साथ-साथ पर्यवेक्षण का समन्वयन एवं निरीक्षण केन्द्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई के माध्यम से के.ज.आ. द्वारा किया जाएगा. राज्य स्तर पर दिन-प्रतिदिन परियोजना समन्वयन और प्रबंधन राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के माध्यम से किया जाएगा. इसके लिए दिनांक 18.03.2019 को प्रथम परामर्श बैठक का आयोजन जून 2020 में प्रारम्भ होने वाले परियोजना के चरण की तैयारी की शुरूआत करने के उद्देश्य से किया गया जिसमें डी आर आई पी में प्राप्त सीख एवं फेज-2 एवं 3 के रोडमैप की चर्चा की गई.

परियोजना को 10 वर्ष की अवधि में, 6 वर्षों की अवधि के दो चरणों में लागू किया जाना है जिसमें 2 वर्ष के दौरान दोनों चरण साथ में चलेंगे.

श्रीमती टी राजेश्वरी, अपर सचिव, (जल संसा.न.वि.एवं गं.सं.मंत्रालय), श्री जुनैल कमल अहमद, कंट्री निदेशक, विश्व बैंक, भारत कार्यालय, श्री यू.पी. सिंह, सचिव, (जल संसा.न.वि.एवं गं.सं.मंत्रालय) एवं श्री मसूद हुसैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. ड्रिप चरण II और चरण III पर पहली परामर्श बैठक के दौरान 18.3.19 को नई दिल्ली में

परियोजना लागत	
विश्व बैंक	रु. 7000 करोड़
राज्य	रु. 2800 करोड़
केंद्रीय एजेंसियां	रु. 400 करोड़

परियोजनाओं के घटक

- बांधों और संबद्ध आश्रयों का पुनर्वास और सुधार
- बांध सुरक्षा हेतु संस्थागत सुदृढ़ीकरण
- सतत संचालन और बांधों के रखरखाव के लिए इंसिडेंटल राजस्व सृजन
- परियोजना प्रबंधन

क्रियान्वित करने वाले राज्य

आंध्र प्रदेश	मणिपुर
बिहार	मेघालय
छत्तीसगढ़	ओडीशा
गोवा	पंजाब
गुजरात	राजस्थान
कर्नाटक	तमिलनाडु
केरल	तेलंगाना
मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश
महाराष्ट्र	पश्चिमी बंगाल

केंद्रीय कार्यान्वयन एजेंसियां

- केन्द्रीय जल आयोग (के.ज.आ.)
- भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड (बी.बी.एम.बी.)

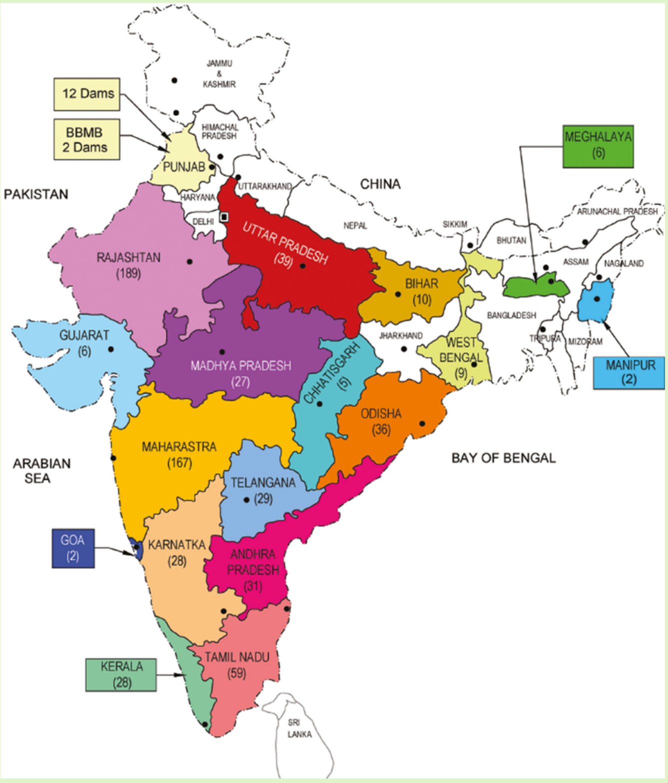

स्मार्ट इण्डिया हैकाथॉन - 2019

स्मार्ट इण्डिया हैकाथॉन एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि विद्यार्थियों को दिन-प्रतिदिन के मुद्दों को नवीन एवं समस्या समाधान मानसिकता के साथ सुलझाने हेतु एक मंच प्रदान करता है. एस.आई.एच.-2019 का आयोजन एम.एच.आर.डी., ए.आई.सी.टी.ई. के द्वारा अन्य संगठनों के सहयोग से किया गया. इस अवसर के लिए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने 5 समस्याएं भेजीं जिनमें 2 के.ज.आ. की ओर से थीं. के.ज.आ. के द्वारा भेजे गए समस्या का विवरण निम्नलिखित है-

1- बाढ़ के दौरान बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के आंकड़ों का तात्कालिक संग्रह गूगल के सहयोग से के.ज.आ. बाढ़ के पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए बाढ़ग्रस्त क्षेत्र मानचित्र के विकास की प्रक्रिया में है. इसके लिए बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाली जनता से तात्कालिक आंकड़ा प्राप्त करने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करने की आवश्यकता है.फोटो , स्थान के निर्देशांक एवं समय-स्टाम्प सहित संग्रहित आंकड़ों का प्रयोग भू-मानचित्रों के सत्यापन के लिए किया जा सकता है.

2- नहरों एवं अन्य जल संग्रहण संरचनाओं से जल की बर्बादी के सम्बन्ध में आंकड़ों का संकलन एवं रिपोर्टिंग. इस देश में हजारों किमी नहरें हैं जिसमें कई जगहों पर टूट , खराबी एवं दुरूपयोग देखा गया है. ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए 5 से 10 फोटो और विडियो लेने वाला एवं स्थान के निर्देशांक एवं समय-स्टाम्प के साथ बेब पर अपलोड करने के लिए एक सक्षम मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए. यह सूचनाएं अधिसूचना/चेतावनी के रूप में संबंधित जिला स्तर के संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को दी जा सकती है जो इसे आगे संबंधित इंजीनियरिंग विभाग को अग्रेषित कर सकता है एवं इसका ट्रैक रखा जा सकता है.

2-3 मार्च 2019 के दौरान एसआईएच 2019 में आयोजित भव्य समापन में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की समस्या के समाधान करने हेतु भारत के विभिन्न भागों से आए छात्रों की टीम चेन्नई के श्री सिवसुब्रमनिया नादर कालेज आफ इंजीनियरिंग में एकत्रित हुई. श्री बी.बी. सैकिया, निदेशक, के.ज.आ. एवं मौ. फैज सैयद, उप निदेशक इस कार्यक्रम में मूल्यांकन-कर्ता के रूप में नामित किए गए.

एसआईएच-2019 के प्रतिभागियों के साथ केजआ के अधिकारी

केजआ के 2 अधिकारी (दायें से बाएँ) ग्रैंड फ़िनाले कार्यक्रम के दौरान

विश्व जल दिवस - 2019

के.ज.आ. मुख्यालय, नई दिल्ली में विश्व जल दिवस समारोह

के.ज.आ. कोयंबटूर में विश्व जल दिवस 2019 समारोह पर स्कूली छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया

विश्व जल दिवस के अवसर पर स्कूली छात्रों द्वारा बनाई गई पेंटिंग

ऊ.गं.बे.सं. लखनऊ में विश्व जल दिवस समारोह

फ्रेश वाटर की महत्ता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए एवं इसके संसाधनों के स्थायी प्रबंधन को प्रोत्साहित करने हेतु 22 मार्च को प्रति वर्ष विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है. 1992 में 'पर्यावरण और विकास' पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अलवणीय जल दिवस मनाने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय दिवस की सिफारिश की गई थी और 1993 में 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में नामित किया गया था. विश्व जल दिवस—2019 को .'किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना' के प्रसंग के साथ मनाया गया जो सतत विकास के लिए 2030 के एजेण्डा का मुख्य वादा है : सतत विकास के रूप में, सभी को लाभ होना चाहिए.

के.ज.आ. (मु.) एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में विश्व जल दिवस मनाया गया. इस अवसर पर तकनीकी सत्र एवं स्कूलों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे -प्रश्नोत्तरी, पेंटिंग इत्यादि का आयोजन किया गया.

पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के लिए विशेषज्ञों/अधिकारियों की संयुक्त टीम

नवम्बर—दिसम्बर 2016 के दौरान वाप्कोस के द्वारा डी पी आर के अन्तिम प्रारूप को प्रस्तुत करने के पश्चात भारत सरकार, नेपाल सरकार एवं पी.डी.ए. के द्वारा कुल 575 मुद्दों की पहचान की गयी. डीपीआर को अंतिम रूप देने के लिए एवं इन मुद्दों का हल निकालने के लिए दोनों सरकारों के द्वारा मई 2017 में विशेषज्ञों की एक टीम का गठन किया गया.

पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के लिए विशेषज्ञों/अधिकारियों कीटीम की तीसरी बैठक काठमाण्डू, नेपाल में 27.02.19 से 28.02.19 के दौरान सम्पन्न हुई. बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई. भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व श्री एस. मसूद हुसैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. ने किया तथा नेपाली टीम का नेतृत्व श्री देवेन्द्र कार्की, सचिव, जल एवं ऊर्जा आयोग, नेपाल के द्वारा किया गया. बैठक के दौरान लंबित मुद्दों को उप-समूहों द्वारा लिया गया, जिनमें से 32 समस्याओं/मुद्दों का समाधान किया गया. शेष बचे 128 मुद्दों के निपटान के लिए विशेषज्ञों/अधिकारियों की संयुक्त टीम की अगली बैठक के आयोजन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं.

1.3.19 को काठमांडू में विशेषज्ञों की संयुक्त टीम की तीसरी बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर करते दोनों दलों के नेतृत्वकर्ता

जलाशयों का प्रबोधन

के.ज.आ. साप्ताहिक आधार पर देश भर में 91 जलाशयों के सक्रिय भण्डारण स्थिति की निगरानी करता है तथा प्रत्येक गुरुवार को बुलेटिन जारी करता है. इन 91 जलाशयों की सक्रिय भण्डारण क्षमता 161.993 घन किमी है जो कि सम्भावित रूप से देश भर में निर्मित 257.812 घन किमी के सक्रिय भण्डारण क्षमता का 63 प्रतिशत है.

28.3.2019 को जारी जलाशय भण्डारण बुलेटिन के अनुसार इन जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय भण्डारण 50.307 घन किमी है जो इनकी कुल सक्रिय भण्डारण क्षमता का 31 प्रतिशत है. यह गत वर्ष के दौरान इसी अवधि केभंडारण का 110 प्रतिशत और पिछले दस वर्षों में औसत भण्डारण का 101 प्रतिशत है.

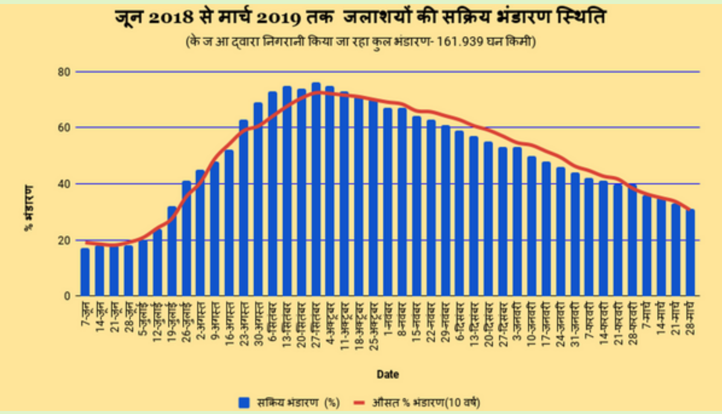

दीर्घिका - स्वच्छता पखवाड़ा - 2019

जन जागरूकता के लिए रैलियां

स्कूली बच्चों द्वारा "स्वच्छ भारत" का रंग चित्रण

स्वच्छ भारत अभियान के तहत् भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों का अत्यधिक ध्यान स्वच्छता के मुद्दे पर खींचने व अभ्यास में लाने के उद्देश्य से 'स्वच्छता पखवाड़ा' की शुरुवात अप्रैल 2016 में की गयी. इस वर्ष पूरे भारत में के.ज.आ. के सभी कार्यालयों के द्वारा 16.3.19 से 31.3.19 के दौरान 'स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया.

इस दौरान, के.ज.आ. (मु.) एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा विभिन्न गतिविधियां जैसे आस-पास के स्थानों, विभिन्न जल निकायों , नदी-घाटों की सफाई आदि का आयोजन किया गया. राम घाट नई दिल्ली, पुनपुन घाट, पटना,नरसीपुरा जल टैंक, बंगलुरु और भारत के अन्य स्थानों पर स्वच्छता गतिविधियां की गईं. स्वच्छता अभियान के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए भवनेश्वर, पुणे, हैदराबाद, बंगलुरु इत्यादि शहरों में रैलियां आयोजित की गईं. के.ज.आ. के अधिकारियों ने इस अवधि के दौरान कार्यालय परिसर जैसे नए पुस्तकालय भवन, नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय में वृक्षारोपण गतिविधि की.

स्कूली छात्रों में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए देश भर में के.ज.आ. कार्यालयों में सामुहिक जागरुकता गतिविधियां जैसे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता एवं शपथ ग्रहण समारोह का भी आयोजन किया गया .

आस-पास के स्थानों और जल निकायों की सफाई गतिविधियाँ

स्कूल में चित्रकारी एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं

के.ज.आ. के विभिन्न कार्यालयों में वृक्षारोपण गतिविधियाँ

समाचार में जल क्षेत्र

- 13 महीने में पूरी तरह निर्मल होगी गंगा : नितिन गडकरी (राजस्थान पत्रिका, 04.03.2019)
- मंगल ग्रह पर भूजल भंडार के संकेत मिले (हिन्दुस्तान, 05.03.2019)
- बुंदेलखंड की सिंचाई—पेयजल समस्या को दूर करने के लिये उठाये कदम : गडकरी (हरि भूमि, दिल्ली, 04.03.2019)
- मध्य प्रदेश के 4000 गांव सूखे की चपेट में (राष्ट्रीय सहारा, दिल्ली, 18.03.2019)
- अलनीनो की वापिसी से खराब रह सकता है मानसून (राजस्थान पत्रिका, 18.03.2019)
- यमुना का प्रदूषण भूजल को बना रहा जहरीला (हिन्दुस्तान, 20.03.2019)
- ओंकारेश्वर बांध विस्थापितों को मिली राहत (राजस्थान पत्रिका, 20.03.2019)
- चिंता की बात — गुजरात—महाराष्ट्र के बांधों में दस वर्ष में सबसे कम जल संग्रह (राजस्थान पत्रिका, 23.03.2019)
- दावा : ग्लेशियर पिघलने से नहीं डूबेगी दुनिया (हिन्दुस्तान, 27.03.2019)

प्रशस्ति

12.3.19 से 14.3.19 तक शिमला में आयोजित महिला सशक्तीकरण प्रदर्शनी, शिमला 2019 में के.ज.आ. को "बेस्ट स्टाल" का पुरस्कार मिला

राज्यों द्वारा की गई पहल - जलयुक्त शिवर

महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र को 2019 तक सूखा-मुक्त राज्य बनाने के लिए 'जलयुक्त शिवर अभियान' परियोजना प्रारम्भ की. इस कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष 5000 गांवों को लक्षित किया गया है. इस परियोजना में जल धाराओं के चौड़ीकरण, गहरीकरण, सीमेंट और मिट्टी के बांधों को निर्माण, नालों पर काम एवं खेत में तालाबों की खुदाई सम्मिलित है. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कम्पार्टमेंट ढ़बन्दी, कीचड़ नाला ढ़बन्दी, सीमेंट चेक बांध, मेंढ़ों की मरम्मत, के.टी. वियर, खेत में तालाब एवं गांव तालाबों, कुंओं के पुर्नभरण, रिचार्जशाफ्ट , ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकलर सिंचाई सभी एक साथ लाए गए. इन स्थानों को मैप करने के लिए एम आर एस ए सी के द्वारा विकसित एक मोबाईल ऐप का प्रयोग किया जा रहा है.

महत्वपूर्ण लिंक

बिनीथ द सरफेस: द स्टेट आफ द वर्ल्ड वाटर 2019
https://washmatters.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof256/files/beneath-the-surface-the-state-of-the-worlds-water-2019-.pdf

ई-भगीरथ मैगजीन
http://202.159.215.252:85/

यू.एन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019: लीविंग नो वन बिहाइंड
https://en.unesco.org/water-security/wwap/wwdr/2019#download

इतिहास - भाखड़ा बांध

भारत में दूसरा सबसे ऊंचा बांध

नदी - सतलुज | ऊंचाई – 226 मी. | लम्बाई - 518 मी.

उद्देश्य - सिंचाई एवं जल-विद्युत

निर्माण पूर्ण — 1963 (रु. 248.28 करोड़)

स्पिलवे गेट की संख्या — 4 | स्पिलवे क्षमता — 8212 क्यूमेक

भाखड़ा दायां किनारा पावर हाऊस 785 मे.वा. | भाखड़ा बायां किनारा पावर हाऊस 594 मे.वा.

सिंचित क्षेत्र — 36 लाख है.
विद्युतिकृत नगरों की संख्या — 128

“"भाखड़ा नांगल परियोजना अद्भुत, अति विशाल और कुछ ऐसी है जो आपको झकझोर देती है. भाखड़ा पुनरुत्थानशील भारत का नया मंदिर, भारत की प्रगति का प्रतीक है।”
जवाहर लाल नेहरू

केंद्रीय जल आयोग
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय,
भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री अनुपम प्रसाद, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता(ई.एम.ओ.) - सदस्य
- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता(पी.एम.ओ.) - सदस्य
- श्री एच.एस. सेंगर, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री रवि भूषण कुमार, निदेशक(टी.सी.) - सदस्य
- श्री एस.डी. शर्मा, निदेशक, (डबल्यू.एस.ई.) - सदस्य
- श्री चैतन्य के.एस., उप निदेशक (आई.एस.एम.-2) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक (डी एण्ड आर. सम.) - सदस्य
- श्रीमती रजिन्दर पॉल, सहायक निदेशक (राजभाषा) - सदस्य
- श्री शिव सुन्दर सिंह, उप निदेशक (डबल्यू.एस.ई.) - सदस्य सचिव

अभिकल्प एवं प्रकाशन
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग
द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई मेल : media-cwc@gov.in